ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00084

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 15/17

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

परिवादी

बनाम

अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्त्ता) : श्री अशोक पुत्र ओमप्रकाश निवासी वार्ड नम्बर 02, मैन बस स्टेण्ड, लालगढजाटान जिला श्रीगंगानगर फर्म : मै. चाचा भतीजा प्रोविजन स्टोर, वार्ड नम्बर 02 मैन बस स्टेण्ड ,लालगढजाटान, श्रीगांगनर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 07.11..2017

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 28.10.2016 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत(सेवानवृित) , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.03.2016 को सुबह 05.15 पी.एम. पर फर्म मै. चाचा भतीजा प्रोविजन स्टोर, वार्ड नम्बर 02 मैन बस स्टेण्ड, लालगढजाटान के पास पहुंचा वहां पर उपस्थित व्यक्तियों को अपना परिचय दिया एवं उसका परिचय लिया। वह व्यक्ति श्री अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश फर्म मै. चाचा भतीजा प्रोविजन स्टोर , वार्ड नम्बर 02 मैन बैस स्टेण्ड लालगढजाटान जिला श्रीगंगानगर खाद्व पदार्थ घी (सांवरिया) बेचता हुआ पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ घी (सांवरिया) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की, दुकान में 15 केजी x 6 पैकड पीपे रखे थे, उसमें एक पीपे को अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक रूप किया एवं इस पीपे को खुलवाकर घी (सांवरिया) 800 ग्राम एक साफ सुखे भगाने में खरीदा घी की कीमत 300/- अदा की एवं खरीद रसीद तैयार की, फार्म सख्या 5 ए तैयार किया, खाद्य कारोबरकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

करवायें एवं वयं ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं गवाहों का चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशियां दिखाई, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं स्वयं (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा मावा बर्फी को चार नूमना बोतलों को बराबर–बराबर भरा, प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद फार्मलीन डाली, चारों नमूना जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना बोतलों को एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी. एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–615 को नियमानुसार ऊपर से नीचे गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री अशोक ने पढकर, सुनकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच. ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/3417/एक्ट/2015/2282 दिनांक 23.12.2015 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–615 मावा बर्फी **अमानक स्तर** (Sub Standard) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में श्री अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश फर्म मै. चाचा भतीजा प्रोविजन स्टोर , वार्ड नम्बर 02 मैन बैस स्टेण्ड लालगढजाटान जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर घी (सांवरिया) का विक्रय किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.09.2017 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस घी (सांवरिया) का नमूना जांच हेतु लिया गया था, उसका बिल मेरे पास नही था एवं डीलर द्वारा घी का बिल नही दिया गया था एवं घी की मात्रा भी कम (2 टीन) ही थी। मै0 भविष्य में बिना बिल का माल नही बेचूगां एवं इस प्रकार के Sub-Standard घी का विक्रय नही करूंगा। अभियुक्त ने गलती को स्वीकार किया है। अभियुक्त ने निवेदन किया है कि लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया घी (सांवरिया) सैम्पल के–687 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/585/एक्ट/2016/1455 दिनांक 12.04.2016 द्वारा **सब स्टैण्डर्ड** होना पाया गया है। घी (सांवरिया) में अपमिश्रण नहीं है और न मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एम0एस0एन0एफ0 में थोड़ा अन्तर है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 3(1)(zf)(C)(i) स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराया जाकर निवेदन किया गया है कि बिल मेरे पास नही था एवं डीलर द्वारा घी का बिल नही दिया गया था एवं घी की मात्रा भी कम (2 टीन) ही थी। मै0 भविष्य में बिना बिल का माल नही बेचूगां एवं इस प्रकार के Sub-Standard घी का विक्रय नही करूंगा। अतः लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निर्णय किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/585/एक्ट/2016/1455 दिनांक 12.04.2016 के बिन्दु संख्या 02 घी (सांवरिया) not fat is 0-77% (Mathod Name : Manual Mathod of analysis of food by D.G.H.S. New Delhi) जबकि घी (सांवरिया) solids not fat की Minimum value 26-0% होनी चाहिए थी। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of घी (सांवरिया) bearing Code No. and Sr. No. K-687 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Substandard Food under section 3(1)(zx) of FSS Act. 2006. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फ़लस्वरूप अभियुक्त श्री अशोक पुत्र ओमप्रकाश फर्म : मै. चाचा भतीजा प्रोविजन स्टोर, वार्ड नम्बर 02, मैन बस स्टेण्ड, लालगढजाटान जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री अशोक पुत्र ओमप्रकाश को under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में बिक्री हेतु जो घी (सांवरिया) विक्रय किया जाता है, उस घी Standard की जॉच करने के उपरांत ही उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाए ताकि मानव जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)